न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/61/2019

अपीलार्थी बनाम **पदाभिहित अधिकारी**

समरसिंह पुत्र श्री लालचन्द यादव,
निवासी ग्राम–पोस्ट तसींग, तहसील–बहरोड
जिला–अलवर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 18.07.19

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011

निर्णय

दिनांकः 07.08.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी द्वारा पेश आवेदन/प्रा0पत्र को आप द्वारा लेने से इनकार के संबंध में प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.07.2019 के माध्यम से अभियुक्त रेणु की मूल निवास पत्रावली तलब कर बाद जांच स्वंय रेणु उसके पिता सहीराम व माता राकेश कुमारी के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराये जाने का अनुरोध किया है।
4. अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.07.2019 को लेने से इनकार करने व कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.07.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2019/408–09 दिनांकः 19.07.2019 के माध्यम से तलब कर इस न्यायालय में दिनांकः 25.07.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उभयपक्ष के दिनांकः 25.07.19 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पत्रांकः 473–74 दिनांकः 25.07.2019 एवं 515–16 दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित होन हेतु लिखा गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पदाभिहित अधिकारी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/19/1074–75 दिनांक 26.07.19 के माध्यम से प्रकरण में सूचना भिजवाने हेतु लिखा जाकर इस न्यायालय को प्रति प्रेषित की है।
6. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांकः 03.07.19 एवं संलग्न प्रा0पत्र दिनांकः 02.07.19 का परीक्षण किया। अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 02.07.19 के माध्यम से राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी को तहसीलदार बहरोड द्वारा क्रमांकः 1269 दिनांकः 12.03.2012 पर जारी मूल निवास पत्रावली तलब कर बाद जांच एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने परिवाद प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र दिनांकः 03.07.2019 में अपीलार्थी द्वारा वर्णांकन किया कि एस.डी.एम. साहब ने प्रार्थना–पत्र लेने से इन्कार किया। इस संबंध में कहा कि मुझे नियम की जानकारी नहीं है।
7. उक्त अपील के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को लेने से इंकार कर अधिनियम 2011 के निर्देशों की अवहेलना की है। कोई कार्य विहित सेवाओं में शुमार हो या ना हो, उस पर विधिक निर्णय पदाभिहित अधिकारी को लेना चाहिए।
8. जहाँ तक अपील में वांछित सेवा का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकः 05.10.2011 में उक्त अधिनियम अंतर्गत राजस्व विभाग की सूची में विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा में प्रार्थना–पत्र के आधार पर जाँच कराया जाना, एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना, सम्मिलित नहीं है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

9 उक्त आलोक में अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त उक्त प्रथम अपील खारिज की जाती है किन्तु पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के आवेदन को लेने से इन्कार नहीं किया जाकर विधिक निर्णय लिया जाकर आवेदकों को सूचित करें अन्यथा स्थिति में अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)